न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, उन्नाव।
प्रकीर्ण वाद संख्या 659/2019
श्रीमती अनीता–बनाम––रामकुमार
थाना सफीपुर जिला उन्नाव।
दिनांकः–15.10.2019

पत्रावली पेश हुयी। आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया एवं पत्रावली का परिशीलन किया।

आवेदिका श्रीमती अनीता ने विपक्षी रामकुमार के विरूद्व प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराये जाने व विवेचना कराये जाने हेतु आदेश देने की प्रार्थना की गयी है।

आवेदिका द्वारा अपने प्रार्थनापत्र मे यह कथन किया है कि घटना दिनांक 27.05.2019 समय करीब 07.30 बजे शाम की है जब प्रार्थिनी अपनी नाबालिग पुत्री कु0 लक्ष्मीदेवी के साथ शौच क्रिया करने हेतु अपने घर के बाहर खेतो की तरफ जा रही थी कि गांव का रामकुमार प्रार्थिनी के उपर झपट पडा एवं प्रार्थिनी का बुरी नियत से हाथ पकडकर प्रार्थिनी के साथ बुरा काम करने की नियत से जबरिया खींचकर ले जाने लगा कि प्रार्थिनी जोरो से चिल्लायी तो प्रार्थिनी का रामकुमार ने मुॅह दबा दिया और ब्लाउज फाड डाला और गले से सोने की चैन खीच ली। गांव के लोगो के आ जाने पर गाली व जान से मारने की धमकी देत हुए चला गया।

प्रार्थनापत्र मे वर्णित तथ्यो से स्पष्ट है कि आवेदिका को विपक्षीगण के नाम व पता ज्ञात है तथा गवाह भी ज्ञात है। इसप्रकार आवेदिका अपना मामला अपने साक्ष्य से साबित कर सकता है। इस प्रक्रम में माननीय उच्चतम न्यायालय तथा माननीय उच्च न्यायालय के विनिश्चय **'' सुखवासी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य ए 0सी0सी0 2007 (6) ए.एल.जे. पेज 424, सुरेश चन्द्र जैन बनाम मध्य प्रदेश राज्य ए.आई.आर. 571 मोहम्मद युसुफ बनाम आफाक जहॉ व अन्य (2006) 1 एस.सी.सी. (फौज0)460, रामबाबू गुप्ता 2001 (43) ए.सी.सी.50 फुल बेन्च, चन्द्रपाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य 2009 (4) ए.एल.जे.35,नवल किशोर साहू बनाम उ0प्र0 राज्य 2010 किमीनल ला जनरल (एन.ओ.सी) पेज 1221''** का उल्लेख किया जाना समीचीन है जिसमे माननीय न्यायालय द्व ारा यह अवधारित किया गया है कि प्रार्थनापत्र 156(3)दं.प्र.सं. मे प्रत्येक दशा मे अभियोग पंजीकृत कराना मजिस्ट्रेट के लिए बाध्यकारी नही है तथा युक्तियुक्त दशाओ मे प्रकरण परिवाद के रूप मे दर्ज किया जा सकता है। उपरोक्त तथ्यों के अलोक मे इस न्यायालय के मत मे आवेदिका द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 156(3)दं.प्र.सं. परिवाद के रूप मे दर्ज किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थनापत्र 156(3)दं.प्र.सं. परिवाद के रूप में दर्ज हो। वास्ते बयान परिवादिनी धारा 200दं.प्र.सं. दिनांकं. 20.11.2019 को पेश हो।

(विराट कुमार श्रीवास्तव)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रैट,उन्नाव।